[श्री रामावतार शास्त्री]

बिहार एवं कर्नाटत में ऐते विधान में की संख्या सब से अधित हैं।

जिन प्रावित्त विद्यातरों में ती न अव्यापत हैं उनकी संख्या 71,658 है। इसी प्रकार 38,726 स्कूलों में प्रत्येक में चार अव्यापत तथा 24,908 स्कूलों में प्रत्येक में पांच अव्यापत हैं।

कुल 4,74,636 प्रायमिन विद्यालयों में 8.85 प्रतिगत ही ऐसे स्कूल हैं जहां पांच से प्रधिक प्रव्यापक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रौसत छात्र प्रव्यापक प्रनुपात प्राइमरी स्तर पर 41 छात्रों के पीछे एक प्रव्यापक, मिडल स्तर पर 25 छात्रों पर एक प्रव्यापक तथा सेनेण्डरी एवं हायर सेनेण्डरी स्तर पर 18 छात्रों पर एक प्रव्यापक हैं।

शिक्षा के प्रति भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए ये प्रांकड़े इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं कि हमारी भावी पीढ़ों के प्रति सरकार का रवैया क्या है ? क्या सरकार इसी प्रकार से देश के उत्थान में नौजवानों एवं छात्रों का सहयोग चाहती है ? इस ग्रोर भारत सरकार को विशेष ध्यान दे कर प्राइमरी स्कूलों की इस दय-नीय स्थित में सुधार के लिए राज्य सरकारों को विशेष वितीय सहायता प्रदान करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इस दिशा में ग्रव ग्रौर विलम्ब करना देश के लिए घातक सिद्ध होगा।

(vi) Closure of Banaras Hindu University

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह ग्रत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों एवं डाक्टरों के बीच संघर्ष हो जाने के कारण काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान का सर सुन्दर लाल ग्रस्पताल बन्द हो गया है जिससे जनता को चिकित्सा सम्बन्धी भीषण कठिनाई का सामना करना

पड़ रहा है। संघर्ष इतना बढ़ गया है कि

पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है और विश्व-विद्यालय परिसर में अनेक प्रकार की हिसा की घटनायें हुई हैं तथा विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द हो गया है। चूंकि काणी हिन्दू विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है अतः भारत सरकार को तत्काल उक्त मामले में हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करना चाहिए अन्यया स्थिति और भी अधिक बिगड़ सकती है जो उक्त विश्वविद्यालय तथा छात्रों एवं जनता के हित की दृष्टि से अत्यन्त घातक सिद्ध होगी। विश्वविद्यालय का शीघ्र खोला जाना छात्रों की पढ़ाई के लिए अति आवश्यक है।

(vii) ACTION AGAINST SOME OFFICIALS OF RED CROSS SOCIETY CHARGED FOR BREACH OF TRUST

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur): Sir, under rule 377, I wish to raise the following:

The metropolitan Magistrate, Mr. Jawant Singh has day before Yesterday issued summons to major General S. S. Maitra (Retd.) Mr. Ajit Bhowmik, Vice Chairman and Joint Secretary respectively of the Indian Red Cross Society, and three other employees of the Society to appear before him on May 30 in a case of criminal breach of trust in respect of funds and relief material, to the tune of Rs. 11 crores, meant for the Bangladesh refugees.

The order summoning them was made by the Magistrate after he, on the basis of the testimony of the witnesses examined before him to give preliminary evidence, came to the conclusion that a prima facie case against them had been established.

The case has been instituted by Mr. Mehar Chand Yadav, former Deputy Chairman of the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking and All-India treasurer of the Socialist Party of India In his criminal complaint